ायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

त्र संख्या–16/2021
त्र प्रविष्टि दिनांक–14.12.2021
य दिनांक–31.01.2025

र्मराज पुत्र कैलाश जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
मराज पुत्र कैलाश जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)
दनी पत्नि कैलाश जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

ा पत्नि प्रहलाद जाति जाट निवासी ग्राम झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थीया

वक्ता प्रार्थीगण–श्री राजाराम चौधरी, श्री भरत गुर्जर एड0
वक्ता अप्रार्थी–श्री कैलाश चौधरी एड0

प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता दिलवाये जाने बाबत् अन्तर्गत धारा 251–ए राज.टि.एक्ट. 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र रास्ता दिलवाये जाने बाबत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र के अनुसार भूमि आराजी ख0न0 2484 रकबा 1.4542 वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है, जो प्रार्थीगण की संयुक्त ारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण वर्षो से प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि ख0न0 2485 से सदा सर्वदा से बने हुए रास्ते में से आते जाते है। ख0न0 2485 से होकर वर्षो से रास्ता बना हुआ है, जो देशा की मेड पर स्थित है और उसी रास्ते में से अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर आते जाते है तथा में से होकर अपने कृषि कार्य हेतु हल, बैल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाते ले जाते है। प्रार्थीगण के पास खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए ख0न0 2485 में बने हुए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक नही है। ख0न0 2485 की खातेदारी प्रतिपक्षी के नाम दर्ज होने से अब उसकी नियत में बेईमानी आ गयी है उसके नाजायज रूप से प्रार्थीगण का आवागमन अवरूध करना तथा अनावश्यक रूप से लडाई झगडा करना कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण के खेतो पर कृषि कार्यो के लिए आना जाना व हर प्रकार से आवागमन

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

वरूद्ध हो गया है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी को गांव से सरकारी पक्की सडक से होकर ख0न0 2485 में से अपनी तेदारी ख0न0 2484 में जाने हेतु 30 फिट का रास्ता जो मौके पर चालू है, का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक अंकन या जाना आवश्यक है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं तहसीलदार पीपलू से चाहे गये रास्ते की का निरीक्षण रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार पीपलू ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया की प्रार्थीगण को अपनी तेदारी भूमि पर पहूंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता त्यंतिक है। प्रस्तावित रास्ते की चौडाई 30 फिट एवं लम्बाई 361 फिट है। प्रस्तावित रास्ते का कुल क्षैत्रफल 006 हैक्ट. है। भूमि की वर्तमान डी.एल.सी. दर 9,83,145 रूपये प्रति हैक्ट. है, दोगुनी दर से प्रतिकर राशि 7,808 रूपये है। आवेदकगण की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ख0न0 2485 से रास्ता चाहता हैं। ताावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है एवं नक्शा ट्रेस दो प्रतियो में संलग्न प्रस्तावित रास्ते के मध्य कोई संरचना नही है। अप्रार्थी उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नही है। प्रस्तावित ता अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

प्रतिपक्षीगण की ओर अधिवक्ता श्री कैलाश चौधरी एड. ने वकालतनामा मय आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन किया की माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तहसीलदार महोदय से मौका रिपोर्ट तलब की गई । जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ.निरीक्षक द्वारा ार की गई है, जो तहसीलदार महोदय द्वारा प्रेषित की गई है। तहसीलदार पीपलू द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार नही गई है। मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व तहसीलदार महोदय द्वारा प्रतिपक्षी को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया ा। ऐसी स्थिती में प्रतिपक्षी मौका रिपोर्ट बनाते समय उपस्थित नही हो सकी थी। उक्त रिपोर्ट प्रतिपक्षीया की पस्थिती में बनायी गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का झिराना एवं गिरदावर झिराना द्वारा ुत रिपोर्ट किस दिन व समय पर मौके पर जाकर बनायी गई है। इस संबंध में रिपोर्ट में कोई तथ्य अंकित नही रिपोर्ट किन गवाहनो की उपस्थिती में बनायी गई है। इसका भी रिपोर्ट में अंकन नही है। प्रार्थी द्वारा झिराना सोहेला जाने वाले मार्ग से अपने खेत पर जाने हेतु रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की ाजी पर ख0न0 2486/1 व 2487 के मध्य बनी मेर से अपने पूर्वजो के समय से आते जाते रहे है और इसी ते से अपने कृषि उपकरण ले जाते है। प्रार्थीगण के परिवारजनो के ही खातेदारी की आराजी है। प्रार्थीगण के तेदारी की आराजी तक पहुंचन का कोई वेकल्पिक मार्ग नही होना रिपोर्ट में अंकित किया गया है और पक्षीया के खातेदारी की आराजी में होकर ही रास्ता प्रस्तावित किया है। जबकि मौके पर प्रतिपक्षीया के तेदारी की आराजी के चारो तरफ पिछले 5–7 वर्षो से तारबंदी हो रखी है, जहां मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध है और ख0न0 2486/1 व 2487 के मध्य मेर पर रास्ता मौके पर प्रार्थीगण के खेत पर जाने का रास्ता लब्ध है। जिसे पटवारी हल्का द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकित नही किया गया है। ऐसी स्थिती में वेकल्पिक मार्ग लब्ध होने से प्रार्थीगण प्रतिपक्षीया के खातेदारी की भूमि में रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थीगण के तेदारी की आराजी ख0न0 2484 कृषि भूमि है। जिस पर आने जाने हेतु अधिकतम ट्रेक्टर का उपयोग किया ा है। जिसे लाने ले जाने हेतु 10 फिट का रास्ता पर्याप्त होता है। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण से मिलकर 30 फिट का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जिससे स्पष्ट है की प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का व भू.अ.निरीक्षक से मिलकर प्रतिपक्षीया की बेसकिमती भूमि को हडपने की नियत से उक्त रिपोर्ट तैयर करवायी गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिपक्षीया महिला है, जो जयपुर में निवास करती है तथा प्रतिपक्षीया का पति पूना महाराष्ट्र में व्यवसाय करता है और प्रतिपक्षीया अपने आधोली के माध्यम से ही उक्त आराजीयात को काश्त करवाती है। प्रतिपक्षीया का महिला होने का फायदा उठाने की नियत से प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक से मिलकर उक्त रिपोर्ट एक तरफा में तैयार करवायी है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र चरण संख्या 01 जिस प्रकार से लेखा गया है। गलत है, स्वीकार नही है। न्यायालय हाजा द्वारा रूल 69 के तहत् मौका रिपोर्ट तलब की गई है, जो आई.एल.आर. द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है। आई.एल.आर. को रास्ता बाबत् रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार है। प्रत्येक मामले में तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करे। यह कानूनी रूप से आवश्यक नही है। उक्त रिपोर्ट में कोई त्रुटी नही है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो चलने योग्य नही है। निरस्त करने योग्य नही है। प्रतिपक्षी को मौके पर उपस्थित होने की सूचना दी गई थी, परन्तु वह जानबुझकर उपस्थित नही हुई। प्रार्थना पत्र में विलम्ब करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं पटवारी व गिरदावर ने मौके पर जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की है। जिस पर गवाहन के हस्ताक्षर होना आवश्यक नही है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर आने जाने के लिए जिस प्रकार रास्ते की मांग की है। वह पूर्णरूप से आवश्यक मांग है। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का उक्त वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई अन्य कोई रास्ता नही है। इस प्रकार की आपत्ति मौका रिपोर्ट के विरूद्ध नही उठायी जा सकती। पटवारी के विरूद्ध गलत आरोप लगाये हैं। गिरदावर ने मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से यह लिखा है की प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा वांछित रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। मौके पर तारबंदी होने के आधार पर उस भूमि में होकर रास्ता दिया जाने पर कोई प्रतिबंध नही है। प्रार्थीगण मौके पर उक्त रास्ते से ही जिसकी मांग की गई है, से होकर हमेशा आते जाते रहे है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता नही है। आपत्ति में यह भी लिखा गया है की प्रार्थीगण को आने जाने के लिए 10 फिट का रास्ता पर्याप्त होता है। इस बात से यह निष्कर्ष निकलता है की प्रतिपक्षीया 10 फिट चौडाई का रास्ता देने के लिए तैयार है। 30 फिट चौडाई का रास्ता केवल प्रावधान 251 ए में दिया गया है। 30 फिट चौडाई का रास्ता न्यायालय हाजा द्वारा दिया जा सकता है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि की एवज में डी.एल.सी. की दर से दो गुना राशि देने के लिए तैयार है। प्रतिपक्षीया को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नही है। इस प्रार्थना पत्र में उठायी गई आपत्ति मूल प्रार्थना के जवाब में उठायी जा चुकी है। इस प्रार्थना पत्र में तहसीलदार को पक्षकार नही बनाने का जो आधार लिया है। वह चलने योग्य नही है। इस आधार पर मौका रिपोर्ट को निरस्त नही किया जा सकता। मौका रिपोर्ट में कोई कानूनी त्रुटी नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रतिपक्षीया का प्रार्थना मय हर्जा खर्चा खारिज किया जावे।

तहसीलदार पीपलू से प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अभिभाषक ने बहस में बताया कि भूमि आराजी ख0न0 2484 रकबा 1.4542 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना में स्थित है, जो प्रार्थीगण की संयुक्त

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें प्रार्थीगण वर्षो से प्रतिपक्षी की खातेदारी की भूमि ख0न0 2485 से होकर सदा सर्वदा से बने हुए रास्ते में से आते जाते है। ख0न0 2485 से होकर वर्षो से रास्ता बना हुआ है, जो पूर्वी दिशा की मेड पर स्थित है और उसी रास्ते में से अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि पर आते जाते है तथा इसी में से होकर अपने कृषि कार्य हेतु हल, बैल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि को लाते ले जाते है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिए ख0न0 2485 में बने हुए रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी को गांव से सरकारी पक्की सडक से होकर ख0न0 2485 में से अपनी खातेदारी ख0न0 2484 में जाने हेतु 30 फिट का रास्ता जो मौके पर चालू है, का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाना आवश्यक है। है। न्यायालय हाजा द्वारा रूल 69 के तहत् मौका रिपोर्ट तलब की गई है, जो आई.एल. आर. द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है। प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जो चलने योग्य नही है। प्रतिपक्षी को मौके पर उपस्थित होने की सूचना दी गई थी, परन्तु वह जानबुझकर उपस्थित नही हुई। प्रार्थना पत्र में विलम्ब करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने का उक्त वांछित रास्ते के अलावा अन्य कोई अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण के खेत पर आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है तथा वांछित रास्ता दिया जाना न्यायोचित है। मौके पर तारबंदी होने के आधार पर उस भूमि में होकर रास्ता दिया जाने पर कोई प्रतिबंध नही है। प्रार्थीगण मौके पर उक्त रास्ते से ही जिसकी मांग की गई है, से होकर हमेशा आते जाते रहे है। प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। 30 फिट चौडाई का रास्ता हेतु प्रावधान 251 ए में दिया गया है। 30 फिट चौडाई का रास्ता न्यायालय हाजा द्वारा दिया जा सकता है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि की एवज में डी.एल.सी. की दर से दो गुना राशि देने के लिए तैयार है। प्रतिपक्षीया को किसी प्रकार की कोई क्षति होने की संभावना नही है। इस आधार पर मौका रिपोर्ट को निरस्त नही किया जा सकता। मौका रिपोर्ट में कोई कानूनी त्रुटी नही है। ऐसी स्थिती में प्रार्थी को गांव से सरकारी पक्की सडक से होकर ख0न0 2485 में से अपनी खातेदारी ख0न0 2484 में जाने हेतु 30 फिट का रास्ता दिलवाया जाना न्यायसंगत है।

अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने जवाब पेश न कर, आपत्ति प्रार्थना पत्र को ही प्रतिपक्षी की ओर से जवाब मानते हुए अन्तिम बहस का निवेदन किया एवं अपनी बहस में बताया की उक्त मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं भू.अ. निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है, जो तहसीलदार महोदय द्वारा प्रेषित की गई है। तहसीलदार पीपलू द्वारा कोई रिपोर्ट तैयार नही की गई है। मौका रिपोर्ट बनाने से पूर्व तहसीलदार महोदय द्वारा प्रतिपक्षी को किसी प्रकार का नोटिस नही दिया गया। ऐसी स्थिती में प्रतिपक्षी मौका रिपोर्ट बनाते समय उपस्थित नही हो सकी थी। उक्त रिपोर्ट प्रतिपक्षीया की अनुपस्थिती में बनायी गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है। पटवारी हल्का झिराना एवं हदावर झिराना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट किस दिन व समय पर मौके पर जाकर बनायी गई है। इस संबंध में रिपोर्ट में कोई तथ्य अंकित नही है। रिपोर्ट किन गवाहनो की उपस्थिती में बनायी गई है। इसका भी रिपोर्ट में अंकन नही है। प्रार्थी द्वारा झिराना से सोहेला जाने वाले मार्ग से अपने खेत पर जाने हेतु रास्ते की मांग की गई है। प्रार्थीगण ने खातेदारी की आराजी पर ख0न0 2486/1 व 2487 के मध्य बनी मेर से अपने पूर्वजो के समय से आते जाते है और इसी रास्ते से अपने कृषि उपकरण ले जाते है। प्रार्थीगण के परिवारजनो के ही खातेदारी की आराजी

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के खातेदारी की आराजी तक पहुंचन का कोई वेकल्पिक मार्ग नही होना रिपोर्ट में अंकित किया गया और प्रतिपक्षीया के खातेदारी की आराजी में होकर ही रास्ता प्रस्तावित किया है। जबकि मौके पर प्रतिपक्षीया के तेदारी की आराजी के चारो तरफ पिछले 5–7 वर्षो से तारबंदी हो रखी है, जहां मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि पर आने जाने हेतु 10 फिट का रास्ता पर्याप्त होता है। इसके बावजूद भी ारी हल्का द्वारा प्रार्थीगण से मिलकर 30 फिट का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। पटवारी हल्का व भू.अ. क्षक से मिलकर उक्त रिपोर्ट एक तरफा में तैयार करवायी है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के अनुसार अन्य खातेदारी की जोत में से नया मार्ग दिये जाने हेतु संक्षिप्त जॉच के बाद यह धान होना आवश्यक हैं कि प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता हो तथा यह जोत में सुविधाजनक उपयोग भोग के लिए नहीं है। धारा 251–ए में खातेदार को पडौसी खातेदार की भूमि से रास्ता मांगने का प्रावधान हैं। तु यह भी देखा जाना चाहिए कि अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि का स्वरूप बिगाड़ने के उद्देश्य से उक्त धान का उपयोग तो नहीं हो रहा है। तहसीलदार पीपलू की रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 2484 रकबा 1.4542 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना पर आने जाने के लिए कोई अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता होना बताया गया है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता भी बतायी गई है। अधिवक्ता प्रतिपक्षी ने उक्तानुसार 10 फिट चौडाई का रास्ता देने हेतु अपनी आंशिक सहमति जाहिर की है। अतः अप्रार्थीया द्वारा त आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गण को अपनी खातेदारी भूमि आराजी ख0न0 2484 रकबा 1.4542 हैक्ट. वाके ग्राम झिराना वाके ग्राम झिराना, र हल्का झिराना में काश्त के उपयोग उपभोग हेतु आने जाने के लिए भूमि आराजी ख0न0 2555 किस्म गै.मु. ा से प्रतिपक्षी की भूमि आराजी ख0न0 2485 वाके ग्राम झिराना, पटवार हल्का झिराना में से होकर मुताबिक वित नक्शा ट्रेस अनुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि 2484 की मेड तक 30 फिट चौडाई का रास्ता दिया का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार उक्त रास्ते में काम आने वाली भूमि का क्षैत्रफल निकालकर नवीनतम ल.सी. दर के आधार पर दुगुनी प्रतिकर राशि की गणना कर, रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की मालियत का कंन करे। तद्नुसार प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी को भुगतान किये जाने व प्रतिपक्षी द्वारा राशि नही लिये जाने की ी में जमा राजकोष किये जाने के उपरान्त प्रतिपक्षी की भूमि का रकबा कम किया जाकर नवीन रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड के खाता संख्या 01 में करे एवं नक्शा शीट मुताबिक प्रस्तावित नक्शा शीट अनुसार तरमीम उक्त प्रस्तावित रास्ता सार्वजनिक उपयोग उपभोग के लिए आमजन के लिए रहेगा। निर्णय आज दिनांक 1.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से हो तथा नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner